[2022] 9 एस. सी. आर 1129

राहुल

वी.

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 611)

नवंबर 07,2022

[उदय उमेश ललित, सीजेआई, एस. रवींद्र भाट

और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860-एस. एस. 365 , 367 , 376 (2) (छ), 302,201 और 34 एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था जब वह अपनी नौकरी से लौट रही थी

उसके दोस्तों के साथ-उसके साथ बलात्कार किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई और उसके शरीर को खुले मैदान में फेंक दिया गया-आरोपी अपीलार्थी के खिलाफ आईपीसी की धारा 365,367,376 (2) (जी), 302,201 के साथ 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई-रिकॉर्ड और सामग्री पर साक्ष्य की सराहना करने के बाद ट्रायल कोर्ट

जाँच के दौरान बरामद किया गया, दोषी ठहराया गया और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई-सत्र न्यायालय द्वारा संदर्भित मौत की सजा में उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी-अपील पर, कहा गयाः अभियुक्त की पहचान के लिए जांच के दौरान न तो जांच अधिकारी द्वारा कोई टी. आई. परेड आयोजित की गई थी और न ही किसी गवाह ने अदालत के समक्ष अपने-अपने बयानों के दौरान अभियुक्त की पहचान की थी। जिन परिस्थितियों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था और कार को जब्त किया गया था, उन्होंने भी इस कहानी में गंभीर संदेह पैदा किए हैं।

अभियोजन पक्ष-किसी भी गवाह ने उस कार का पंजीकरण संख्या नहीं देखा था जिसमें पीड़ित का अपहरण किया गया था-निचली अदालत ने तीन अभियुक्तों के पूरे प्रकटीकरण बयानों को साक्ष्य में स्वीकार करने की अनुमति दी थी, उक्त बयान पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति की प्रकृति के थे। 25 साक्ष्य अधिनियम परीक्षण न्यायालय ने प्रदर्शन करने में भारी त्रुटि की थी

अभियुक्त के पूरे प्रकटीकरण बयान दर्ज किए गए-दोषपूर्ण लेखों को जांच के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया था, हालांकि, सी. एफ. एस. एल. द्वारा अभियुक्त के साथ उनका संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक राय नहीं दी गई थी-फोन के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का कॉल विवरण रिकॉर्ड भी एस के संदर्भ में साबित नहीं हुआ था। 65 साक्ष्य अधिनियम का बी-अभिलेख से यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए 49 गवाहों में से 10 भौतिक गवाहों से जिरह नहीं की गई थी और कई अन्य महत्वपूर्ण गवाहों से बचाव पक्ष के वकील द्वारा पर्याप्त रूप से जिरह नहीं की गई थी।

अपीलार्थी-अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकारों से वंचित किया गया था, इस तथ्य के अलावा कि सच्चाई को भी न्याय द्वारा उजागर नहीं किया जा सका था।

विचारण न्यायालय-विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और सजा को अलग कर दिया जाता है।

साक्ष्य अधिनियम, 1872-27,45 और 65B-परिस्थितिजन्य साक्ष्य

संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक श्रृंखला बनाना चाहिए ताकि

इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं-अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में साक्ष्य-अभियुक्त, उनकी पहचान, दोषपूर्ण वस्तुओं की खोज और बरामदगी, इंडिका कार की पहचान, वस्तुओं की बरामदगी और सीलिंग और नमूनों का संग्रह, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट, सी. डी. आर. आदि के संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए बहुत कम स्पष्ट रूप से साबित नहीं किए गए थे।

साक्ष्य अधिनियम, 1872। 165 - भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 निचली अदालतों को सच्चाई को उजागर करने के लिए किसी भी स्तर पर गवाहों से कोई भी सवाल पूछने की बेलगाम शक्तियां प्रदान करती है-न्यायाधीश से एक निष्क्रिय अंपायर होने की उम्मीद नहीं की जाती है, बल्कि उनसे मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गवाहों से सवाल करने की उम्मीद की जाती है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अदालत। इसलिए, अपीलार्थियों की पहचान-अभियुक्त को विधिवत स्थापित नहीं किया गया है, पूरे मामले में अभियोजन पक्ष पहली ही परिस्थिति में अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ किसी भी साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित नहीं हुआ है। [पैरा 20] [1147-डी-ई]

1.2 अभियुक्त आर, पीडब्लू-12 एएसआई की गिरफ्तारी के संबंध में अदालत के समक्ष कहा गया था कि अभियुक्त आर को गाड़ी चलाते हुए देखा गया था। लाल इंडिका कार, और वह उलझन में लग रहा था; जब उसने उक्त वाहन के दस्तावेज मांगे, तो आरोपी-आर राहुल बनाम को पेश नहीं कर सका।

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और

एएनआर।

उन्हें और इसलिए उन्होंने (पीडब्लू-12) 'आर' को पकड़ लिया और पी. एस. छावला में एस. एच. ओ. को अपनी हिरासत सौंप दी। पीडब्लू-12 एएसआई ने यह समझाने की कोशिश की थी कि नियंत्रण कक्ष से एक संदेश आया था कि लाल रंग की इंडिका कार में एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था और पुलिस को उक्त वाहन को पकड़ना था और संबंधित एसएचओ को रिपोर्ट करना था, और इसलिए उसने आर को पकड़ लिया। उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों में से किसी ने भी इंडिका कार की पहचान नहीं की थी जिसे कथित तौर पर 13.02.2012 पर 'R' द्वारा चलाया जा रहा था। पी. डब्ल्यू.-29, शिकायतकर्ता एस. ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती थी कि यह वही कार थी जिसमें पीड़ित का अपहरण किया गया था। किसी भी गवाह ने उस कार का पंजीकरण नंबर भी नहीं देखा था जिसमें पीड़ित का अपहरण किया गया था। [पैरा 22] [1148-बी-डी]

1.3 यह ध्यान दिया जा सकता है कि निचली अदालत ने तीनों अभियुक्तों के पूरे प्रकटीकरण बयानों को स्वीकार करने की अनुमति दी थी।

आपत्तिजनक सामग्री, केवल ऐसा हिस्सा ही स्वीकार्य होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत, न कि पूरे इकबालिया बयानों के तहत। तत्काल मामले में, इसलिए निचली अदालत ने पूरे मामले को प्रदर्शित करने में भारी त्रुटि की थी।

पीडब्लू द्वारा दर्ज अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान-48 पी1, साक्ष्य में पढ़ने के लिए। हालांकि, अपराध के स्थान का पता लगाने के लिए जांच अधिकारी को दी गई जानकारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 27 में इंगित सीमा तक स्वीकार्य होगी, लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति की प्रकृति में संपूर्ण प्रकटीकरण बयान नहीं। [पैरा 25] [1149-एफ-एच; 1150-ए-बी] [2022] 9 एस. सी. आर.

1.4 जब्त ज्ञापन (प्रदर्शनी 34/ए) के अनुसार ए. एस. आई. बी. एस. द्वारा मृतक के शरीर से पाए गए बालों की बरामदगी भी अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि यह कथित तौर पर मृतक के शरीर से पाया गया था जो खुले मैदान में पड़ा था। लगभग तीन दिन और तीन रातें। मृतक के पीडब्लू-8 पिता और मृतक के पीडब्लू-3 और पीडब्लू-7 पड़ोसियों, जिन्होंने पीड़ित के शव की पहचान की थी, ने शव के पास पड़ी वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं कहा था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस के साक्ष्य और औपचारिक गवाहों की गवाही में दिखाई देने वाली विसंगतियों और विरोधाभासों की संख्या के संबंध में भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया था, जो खोज और वसूली के संबंध में पूरे साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं और साथ ही आपत्तिजनक वस्तुओं की जब्ती भी बहुत अविश्वसनीय है। अभियुक्त के कहने पर 14.02.2012 पर जली हुई राख, मृतक के अंडरवियर आदि जैसी वस्तुओं की जब्ती भी अभियोजन पक्ष द्वारा विधिवत साबित नहीं की गई थी। उक्त लेखों को जांच के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया था, हालांकि सी. एफ. एस. एल. द्वारा अभियुक्तों के साथ उनके संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक राय नहीं दी गई थी। [पैरा 27] [1150-जी-एच; 1151-ए-बी]

1.5 तत्काल मामले में, अपहरण की कथित घटना 09.02.2012 और पीड़ित के शव पर हुई थी

13.02.2012 पर पाया गया था। इसलिए, मृत्यु का समय भी बहुत महत्वपूर्ण था, हालांकि जिस स्थिति में शव पाया गया था, उसे देखते हुए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ex.26/A भी उस समय के बारे में स्पष्ट नहीं है जब मृत्यु हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय 72 से 96 घंटे यानी 10.02.2012 से 11.02.2012 के बीच बताया गया है, क्योंकि पोस्टमॉर्टम 14.02.2012 पर लिया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृत्यु की दरम्यानी रात को हुई होगी 09.02.2012 10.02.2012 तक। मृतक के शरीर में भी सड़न का कोई संकेत नहीं दिखा। यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि शव बिना किसी के देखे तीन दिनों तक खेत में रहा होगा। [पैरा 29] [1151-ई-जी]

1.6 न्यायमित्र ने फोरेंसिक साक्ष्य यानी डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में रिपोर्ट पर भी हमला किया है।

18.04.2012 (पी-23/1) को आपत्तिजनक निष्कर्ष देते हुए प्रदर्शित करें।

वह राहुल वी। दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और

एएनआर।

दृढ़तापूर्वक प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों का संग्रह स्वयं बहुत संदिग्ध था, उक्त फोरेंसिक साक्ष्य न तो वैज्ञानिक रूप से और न ही कानूनी रूप से साबित हुआ था

और अपीलार्थियों-अभियुक्तों के विरुद्ध परिस्थिति के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था। न्यायालय न्यायमित्र द्वारा की गई उक्त दलीलों में सार पाता है। डी. एन. ए. साक्ष्य धारा 45 के तहत परिकल्पित राय साक्ष्य की प्रकृति में है और किसी भी अन्य राय साक्ष्य की तरह, इसका संभावित मूल्य मामले-दर-मामले भिन्न होता है। यह सच है कि पी. डब्ल्यू.-23, सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) ने गवाह बॉक्स में कदम रखा था और डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में उनकी रिपोर्ट को एक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पीडब्लू 23/ए, हालांकि केवल एक दस्तावेज़ का प्रदर्शन, इसकी सामग्री को साबित नहीं करेगा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी से संबंधित और मृतक से संबंधित सभी नमूने जब्त कर लिए गए थे।

जाँच अधिकारी 14.02.2012 और 16.02.2012 पर; और उन्हें 27.02.2012 पर जाँच के लिए सी. एफ. एस. एल. भेजा गया। इस अवधि के दौरान, वे पुलिस स्टेशन के मलखाने में रहे। इन परिस्थितियों में, एकत्र किए गए नमूनों के साथ छेड़छाड़ की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। न तो निचली अदालत ने और न ही उच्च न्यायालय ने डी. एन. ए. रिपोर्टों में निष्कर्षों के अंतर्निहित आधार की जांच की है और न ही उन्होंने इस तथ्य की जांच की है कि क्या तकनीकों को विशेषज्ञ द्वारा विश्वसनीय रूप से लागू किया गया था। अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में सभी रिपोर्ट अत्यधिक असुरक्षित हो जाती हैं, विशेष रूप से जब परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों का संग्रह और सील भी संदेह से मुक्त नहीं था। [पैरा 31 और 32] [1152-सी-ई; 1157-एफ एच; 1158-ए-बी]

2. इस प्रकार, परिस्थितियों की समग्रता और अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त को दोषी ठहराकर उसका अपराध साबित कर दिया था और

साक्ष्य प्राप्त करना। तय कानूनी स्थिति के अनुसार, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध केवल आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और किसी भी स्थिति की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए।

अभियुक्त के अपराध के अलावा अन्य परिकल्पना और ऐसी साक्ष्य केवल अभियुक्त [2022] 9 एस. सी. आर. के अपराध के अनुरूप नहीं होना चाहिए।

लेकिन उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। जैसा कि पहले दिखाया गया है, अपीलकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में साक्ष्य, उनकी पहचान, खोज और आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी, इंडिका कार की पहचान, जब्ती और लेखों की सीलिंग और नमूनों का संग्रह, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट, सी. डी. आर. आदि के संबंध में साक्ष्य अभियोजन पक्ष द्वारा बहुत कम, ठोस, निर्णायक और स्पष्ट साक्ष्य द्वारा साबित नहीं किए गए थे।

निर्दोष रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए। अभियोजन पक्ष को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को घर लाना होगा

उचित संदेह, जो अभियोजन पक्ष तत्काल मामले में करने में विफल रहा है, परिणामस्वरूप, अदालत के पास आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि वह एक बहुत ही जघन्य अपराध में शामिल है। यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्त को दंडित नहीं किया जाता है या बरी कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से पीड़ित के परिवार को एक तरह की पीड़ा और हताशा हो सकती है, हालांकि कानून अदालतों को नैतिक दोषसिद्धि या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दंडित करने की अनुमति नहीं देता है। कोई भी दोषसिद्धि केवल निर्णय पर अभियोग या निंदा की आशंका पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक मामले का निर्णय न्यायालयों द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी नैतिक दबाव या अन्यथा से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष और कानून के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए। न्यायालय इन टिप्पणियों को करने के लिए विवश है क्योंकि न्यायालय ने देखा है कि इस दौरान कई स्पष्ट खामियां हुई हैं।

मुकदमा। अभिलेख से यह देखा गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए 49 गवाहों में से 10 भौतिक गवाहों से जिरह नहीं की गई और कई अन्य महत्वपूर्ण गवाहों से बचाव पक्ष के वकील द्वारा पर्याप्त रूप से जिरह नहीं की गई। यह याद दिलाया जा सकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165

सत्य को उजागर करने के लिए किसी भी स्तर पर गवाहों को कोई भी प्रश्न पूछने के लिए विचारण न्यायालयों को बेलगाम शक्तियां प्रदान करता है। जैसा कि देखा गया है

कई निर्णय, न्यायाधीश से निष्क्रिय होने की उम्मीद नहीं की जाती है

अंपायर लेकिन उसे मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गवाहों से पूछताछ करनी चाहिए। तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच किए गए भौतिक गवाहों से न तो जिरह की गई है और न ही पर्याप्त रूप से जाँच की गई है, और निचली अदालत ने भी एक निष्क्रिय अंपायर के रूप में काम किया है, यह राहुल बनाम है।

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और

एएनआर।

यह पाया गया कि अपीलार्थी-अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई के उनके अधिकारों से वंचित किया गया था, इस तथ्य के अलावा कि निचली अदालत द्वारा भी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सका था। यह निचली अदालतों के विवेक और विवेक पर छोड़ दिया जाता है कि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें ताकि उनके सामने आने वाले मामलों में सच्चाई का पता लगाया जा सके, चाहे वे कितने भी जघन्य या अन्यथा हों। [पैरा 33 35] [1158-बी-एच; 1159-ए-बी; 1160-एफ-जी]

शरद बर्धीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य

(1984) 4 एससीसी 116: [1985] 1 एस. सी. आर. 88; पदला वीरा

रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य। (1989) पूरक।

2 एस. सी. सी. 706; नवनीतकृष्णन बनाम निरीक्षक द्वारा राज्य

पुलिस (2018) 16 एस. सी. सी. 161-पर भरोसा किया गया। मनोज और ओआरएस। बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022)

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 677; राजस्थान राज्य बनाम अनी उर्फ हनीफ और अन्य (1997) 6 एस. सी. सी. 162: [1997] 1 एससीआर

199 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1985] 1 एससीआर 88

उस पर भरोसा करें

पै

रा 16

[1997] 1 एससीआर 199

पै

रा 34

संदर्भित किया गया है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

2022 का No.611।

उच्च न्यायालय के 26.08.2014 दिनांकित निर्णय और आदेश से

सी. आर. एल. में नई दिल्ली में। ए No.563/2014।

के साथ

2022 की आपराधिक अपील Nos.612-613 और 614-615। सुश्री ऐश्वर्या भाटी, एएसजी, सुश्री सोनिया माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता। , / न्यायमित्र

क्यूरी, ए. सिराजुद्दीन, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री शिवानी मिश्रा, सुश्री खुशबू अग्रवाल, सुश्री प्रेरणा ढल्ल, सिमरजीत सिंह सलूजा, हरिंदर मोहन सिंह, परनाम प्रभाकर, कार्तिक वासन, सुश्री निधि, एस. एस. रे, प्रशांत सिंह, सुश्री रुचि कोहली, अभय कुमार, सुघोश सुब्रमण्यम, गुरमीत सिंह मक्कर, डॉ. (सुश्री) चारूवाली खन्ना, धर्मेंद्र पाल, कृष्ण कुमार, सुश्री नंदनी गुप्ता, डॉ. (सुश्री) विपिन

गुप्ता, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बेला एम. त्रिवेदी, जे.

1. सभी अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश दिनांक 26.08.2014 से उत्पन्न होती हैं।

आपराधिक अपील सं. के साथ मृत्युदंड संदर्भ सं. 01/2014। 563/2014 , 726/2014 और 1036/2014, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थियों पर अधिरोपित मृत्युदंड और अन्य सजाओं की पुष्टि करते हुए-अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट, द्वारका कोर्ट, नई दिल्ली द्वारा अभियुक्त (जिसे इसके बाद 'ट्रायल कोर्ट' के रूप में संदर्भित किया गया है) सत्र मामला संख्या <आई. डी. 2. ने अपीलार्थियों-अभियुक्त द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया था। निचली अदालत ने 19.02.2014 के आदेश के माध्यम से सभी तीन अपीलार्थियों-ए 1 रवि कुमार, ए 2 विनोद @छोटू और ए 3 राहुल को आई. पी. सी. की धारा 365/34,367/34,376 (2) (जी), 302/34 और 201/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था, हालांकि तीनों को आई. पी. सी. की धारा 377/34 के तहत आरोप से बरी कर दिया था। अभियुक्त पर अधिरोपित सजा का आदेश इस प्रकार हैः

" 1. आई. पी. सी. की धारा 365/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक पर 5,000/- के जुर्माने के साथ पांच साल की अवधि के लिए कारावास। जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में दोषियों को छह महीने की अवधि के लिए और कारावास से गुजरना होगा।

और 2. दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक पर 5,000/- के जुर्माने के साथ पांच साल की अवधि के लिए कारावास। 367/34 आईपीसी. दोषियों को छह साल की अवधि के लिए और कारावास भुगतना होगा।

जुर्माने के भुगतान में चूक के मामले में प्रत्येक महीने; और

3. आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रत्येक पर <आई. डी. 1,000/- के जुर्माने के साथ कारावास। दोषियों को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त कारावास से गुजरना होगा।

जुर्माने का भुगतान; और
4. आई. पी. सी. की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मृत्युदंड के साथ जुर्माना

Rs.10,000/- प्रत्येक आई. पी. सी. की धारा201/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए। दोषियों को छह साल की अवधि के लिए और कारावास भुगतना होगा। जुर्माने का भुगतान न करने की स्थिति में प्रत्येक महीने। राहुल वी.

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

2. ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड और कार्यवाही से अभियोजन पक्ष का मामला यह सामने आया है कि छावला पुलिस स्टेशन में 09 बजे 09.02.2012 पर एक जानकारी प्राप्त हुई थीः 18 पुलिस नियंत्रण कक्ष से प्रधानमंत्री ने कहा कि हनुमान चौक, कुतुब विहार, छावला के पास लाल रंग की टाटा इंडिका कार में एक लड़की का अपहरण किया गया था और कार श्याम विहार की ओर बढ़ गई थी। जानकारी डीडी नंबर 27 ए के रूप में दर्ज की गई थी और जांच एस. आई. प्रकाश चंद को सौंपी गई थी। तदनुसार, एस. आई. प्रकाश चंद सिपाही राकेश के साथ कुतुब विहार के हनुमान चौक के पास मौके पर पहुंचे, जहाँ उनकी मुलाकात सरस्वती नाम की एक लड़की से हुई। लगभग 08 बजे 09.02.2012 पर उसका बयान दर्ज किए जाने पर 45 प्रधानमंत्री जी, जब वह अपने दोस्तों पूजा, संगीता और पीड़ित अनामिका (नाम बदल दिया गया है) के साथ डी. एल. एफ. गुड़गांव में अपनी नौकरी से लौट रही थी, और जब वे घर के पास चल रहे थे।

हनुमान चौक, एक लाल रंग की इंडिका कार पीछे से आई; ड्राइवर ने उनके पास पहुंचने पर अचानक ब्रेक लगा दिए; कि एक लड़के ने कार का दरवाजा खोला और अनामिका को जबरन कार के अंदर खींच लिया; कि इंडिका कार में तीन या चार अन्य लड़के बैठे थे। शिकायतकर्ता सरस्वती के उक्त बयान के आधार पर आईपीसी की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एस. आई. प्रकाश चंद ने जाँच शुरू की।

3. आई. डी. 1 पर, मामले की जांच विशेष कर्मचारी दक्षिण-पश्चिम नई दिल्ली को हस्तांतरित कर दी गई और एस. आई. अशोक को सौंपी गई।

कुमार। 13.02.2012 पर, मामले की आगे की जाँच इंस्पेक्टर संदीप गुप्ता को सौंपी गई थी। उसी दिन ए. एस. आई. राजेंद्र सिंह ने आरोपी राहुल और लाल रंग की इंडिका कार को पेश किया।

4. इंस्पेक्टर संदीप गुप्ता द्वारा आरोपी राहुल से पूछताछ के दौरान राहुल ने कबूल किया कि उसने अपने भाई के साथ रवि और विनोद उर्फ छोटू नामक व्यक्ति ने कुतुब विहार से एक लड़की का अपहरण कर लिया था; उसके साथ बलात्कार किया था, उसकी हत्या कर दी थी और उसके शव को झज्जर के आगे खेतों में फेंक दिया था। अतः उक्त अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में अभियुक्त रवि और अभियुक्त विनोद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य दो अभियुक्तों के खुलासा बयान भी दर्ज किए गए जिनमें उन्होंने अपहरण, सामूहिक बलात्कार की बात स्वीकार की थी

और पीड़ित को मार डाला।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

5. अभियोजन पक्ष के आगे के मामले के अनुसार, जब उपरोक्त टाटा इंडिका कार जब्त की गई थी, तो उसके पास से मोबाइल फोन बरामद किए गए थे।

अभियुक्त राहुल और अभियुक्त रवि की व्यक्तिगत तलाशी ली गई और उन्हें भी जब्त कर लिया गया। इसके बाद, इंस्पेक्टर संदीप गुप्ता अपने कर्मचारियों और दो अभियुक्तों रवि और विनोद के साथ पीड़ित के शव की खोज के लिए चले गए, और दोनों अभियुक्तों के कहने पर उसे रोदाई गांव के कारवारा मोरेल के पास सरसों के खेतों में पड़ा पाया। उसी के बारे में जानकारी पी. एस. रोदाई को दी गई थी। इसके बाद ए. एस. आई. बलवान पी. एस. रोदाई से अपनी अपराध टीम के साथ मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम ने मृतक के शरीर से कुछ बालों के तारों के साथ-साथ दो प्लास्टिक के गिलास, नाश्ते की एक खाली थैली, मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा, लाल रंग के प्लास्टिक बम्पर का एक टूटा हुआ टुकड़ा और शव के पास से एक बटुआ उठाया। इसके बाद एएसआई बलवान सिंह ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल, रेवाड़ी भेज दिया।

दोनों अभियुक्तों को दिल्ली लाया गया और उनका चिकित्सकीय परीक्षण किया गया। आगे की पूछताछ के दौरान, आरोपी राहुल को मिल गया

6. 15.02.2012 पर मामले की आगे की जांच इंस्पेक्टर रंजीत सिंह को सौंपी गई थी। उन्होंने उपरोक्त टाटा इंडिका कार का निरीक्षण कराया। सी. एफ. एस. एल. टीम द्वारा कार के अंदर और साथ ही उसके सीट कवर में पाए गए बालों के तार जब्त किए गए। उन्होंने टाटा इंडिका कार में पाए गए जैक और पाना के बारे में शव परीक्षण चिकित्सक से राय प्राप्त की और चिकित्सक की राय थी कि मृतक के शरीर पर पाए गए बाहरी घाव उक्त जैक और पाना द्वारा संभव थे। मृतक के बाल जो शव परीक्षण चिकित्सक द्वारा संरक्षित किए गए थे, उन्हें जांच के लिए सफदरजंग अस्पताल भेजा गया था। उठाये गए सभी सामान

शव से और उसके पास से जांच के लिए सी. एफ. एस. एल. भेजा गया था। टाटा इंडिका कार को भी जांच के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया था। आई. ओ. ने मोबाइल नंबर का कॉल विवरण रिकॉर्ड भी प्राप्त किया। 9540594640 मृतक का मोबाइल नं. 9968988533 अभियुक्त राहुल और मोबाइल नं. 8802090923 अभियुक्त रवि। जब्त की गई वस्तुओं पर डीएनए रिपोर्ट भी प्राप्त की गई और सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली को भेजी गई।

7. जाँच पूरी होने के बाद आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया

संबंधित न्यायालय के समक्ष। सत्र न्यायालय को मामला सौंपे जाने पर, आई. पी. सी. की धारा 365/34, आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (2) (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई. पी. सी. की धारा 376 (जी), आई

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

377/34 आई. पी. सी., यू/एस. आई. पी. सी. आई. पी. सी. आई. पी. सी

अपीलार्थी से रंगीन टाटा इंडिका कार बरामद की गई।

राहुल और जिन परिस्थितियों में तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, वे साबित नहीं हुए।
अपराध स्थल से कथित तौर पर की गई बरामदगी

(iii)

13.02.2021 पर अपीलार्थियों के कहने पर भी साबित नहीं किया गया था।

(iv) बम्पर का टूटा हुआ टुकड़ा, बटुआ और बालों के तार जैसी वस्तुओं की बरामदगी कथित तौर पर उस स्थान से हुई जहां [2022] 9 एस. सी. आर.

मृतक पीड़ित का शव मिला था, बहुत था

संदिग्ध, क्योंकि प्रमुख गवाहों द्वारा अपने-अपने बयानों के दौरान इनका उल्लेख नहीं किया गया था।

फोटोग्राफी के संबंध में विसंगतियाँ थीं।

(v)

और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा की गई वीडियोग्राफी और हाथ की स्थिति, दृश्यता के संबंध में मृतक की जींस पर जींस की परत और मिट्टी और तस्वीरों में दिखाई देने वाले बटुए की उपस्थिति, जिसने की गई जांच की विश्वसनीयता में सेंध लगा दी

अभियोजन पक्ष द्वारा।

(vi) खुले स्थान से 14.02.2012 पर बनाई गई वस्तुओं की बरामदगी

जो स्थान जनता के लिए आसानी से सुलभ थे, वे नहीं थे

किसी भी स्वतंत्र गवाह द्वारा समर्थित।

(vii) जिस स्थिति में शव मिला था, उसे देखते हुए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पीड़ित की मृत्यु का समय साबित नहीं हुआ।

(viii) जाँच के दौरान अभियुक्त के खिलाफ एकत्र किए गए फोरेंसिक साक्ष्य वैज्ञानिक और कानूनी रूप से साबित नहीं हुए थे और इसलिए उन्हें परिस्थिति के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था।

अपीलार्थियों के विरुद्ध।

(ix)

आरोपी राहुल और रवि के कॉल विवरण रिकॉर्ड थे दोषपूर्ण साबित नहीं हुआ।

(x)

अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों का उल्लंघन किया गया था, क्योंकि

दस भौतिक गवाहों से जिरह नहीं की गई और कई अन्य महत्वपूर्ण गवाहों से पर्याप्त पूछताछ नहीं की गई। मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष का वकील।

12. विद्वान ए. एस. जी. सुश्री ऐश्वर्या भाटी ने निम्नलिखित मुद्दे उठाए हैं:

तथ्यों और दोषसिद्धि के समवर्ती निष्कर्ष हैं

((i)

अभिलेख पर साक्ष्य की पूरी तरह से सराहना करने के बाद विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित, यह न्यायालय उन अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इसे बाधित नहीं कर सकता है जिनके लिए अपीलार्थियों पर आरोप लगाए गए थे।

((ख)

अभियोजन पक्ष ने राहुल के खिलाफ मामला साबित कर दिया।

गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. के ए. एस. आई. राजेंद्र राज्य सहित सभी भौतिक गवाहों की जाँच करना।

[बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

सिंह जिसने उसे गिरफ्तार किया था, जब वह लाल रंग की टाटा इंडिका कार चला रहा था। ए जैक एंड स्पैनर

और उक्त टाटा इंडिका कार में बालों का एक तार पाया गया और जैक खून से सना हुआ पाया गया। कार में पाए गए जैक और बालों से उत्पन्न डीएनए प्रोफ़ाइल और अनामिका के योनि स्वाब से प्राप्त महिला अंश डीएनए एक दूसरे के अनुरूप थे।

पीड़ित अनामिका पर पाई गई चोटें कार में पाए गए जैक और स्पैनर के कारण हो सकती हैं। अनामिका के शव के पास मिले बंपर का एक टूटा हुआ टुकड़ा राहुल द्वारा चलाई जा रही लाल रंग की इंडिका कार का बंपर था।

पीडब्लू-10 हरिओम की गवाही से यह स्थापित हुआ कि कार 07 से राहुल के पास थीः 45 9 जनवरी, 2012 को सुबह लगभग 10 बजे तकः 00 10 फरवरी, 2012 की सुबह, उस अवधि के दौरान जब अपराध कथित रूप से किया गया था।

राहुल का वीर्य इंडिका कार के सीट कवर पर पाया गया था।

जहां अनामिका का शव बरामद किया गया था, उसके पास दो एटीएम कार्ड, एक ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र और पैन कार्ड की फोटोकॉपी वाला एक बटुआ मिला और यह साबित हुआ कि यह आरोपी राहुल का बटुआ था। अनामिका के मृत शरीर से बरामद बाल आरोपी रवि के रक्त के नमूने से निकाले गए डीएनए से मेल खाते हैं।

आरोपी रवि के पास एक मोबाइल फोन था।

फोन नं. 8802090923 जब उसे गिरफ्तार किया गया था, और कॉल विवरण रिकॉर्ड से पता चला कि इस अवधि के दौरान अनामिका को दिल्ली से हटा दिया गया था और उसका शव गांव में फेंक दिया गया था

उक्त फोन रोडाई गांव के आसपास पाया गया था।

जहां तक आरोपी विनोद का संबंध है, अनामिका के योनि के स्वाब से निकाले गए वीर्य का डीएनए प्रोफाइल उसके डीएनए प्रोफाइल और उसके वीर्य [2022] 9 एस. सी. आर. से मेल खाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

टाटा इंडिया कार के सीट कवर से भी पता चला था

राहुल द्वारा संचालित।

13. दोषसिद्धि के मुद्दे पर दलीलें पूरी होने के बाद, इस न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी को कुछ निर्देश दिए गए थे -

अपीलार्थियों से संबंधित परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट, जेल में अपीलार्थियों द्वारा किए गए कार्य की प्रकृति के बारे में जेल प्रशासन की रिपोर्ट रखें। निदेशक विमहान्स को मनोचिकित्सा मूल्यांकन के लिए एक उपयुक्त दल गठित करने के निर्देश भी जारी किए गए थे

ताकि वह कार्यवाही में भाग ले सके। एक अन्य आवेदन भी योगिता भयाना द्वारा दायर किया गया था ताकि उन्हें इस आधार पर एक पक्ष प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सके कि वह मृतक पीड़ित के परिवार की सहायक व्यक्ति और दिल्ली के साथ-साथ अन्य राज्यों में यौन शोषण के शिकार बच्चों को परामर्श और सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में काम करने वाली कार्यकर्ता थीं। 14. पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, अभिलेख पर साक्ष्य के आलोक में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि

अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, और यह कि पीड़िता के साथ बलात्कार किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। निचली अदालत ने निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा करते हुए दोषी ठहराया और अभियुक्त अपराधों के लिए अभियुक्त अपीलार्थियों को सजा सुनाईः

" (1) मृतक का लाल रंग की टाटा इंडिका में अपहरण कर लिया गया है। गाड़ी।

(2) लाल रंग की टाटा इंडिका कार का पंजीकरण सं। पीडब्लू-10 से संबंधित डीएल 3 सी एएफ 4348 आरोपी राहुल की हिरासत में 9.2.2012 पर सुबह 07.45 से 10.2.2012 पर सुबह 9 बजे तक और 11.2.2012 से 13.2.2012 तक था। (3) महिला के बाल उपरोक्त टाटा इंडिका कार की पिछली सीट पर पाए गए थे और इससे उत्पन्न डीएनए मृतक के डीएनए के समान पाया गया था, जिसका अर्थ है कि यह बाल थे।

मृतक का।

(4) उपरोक्त टाटा इंडिका कार के सीट कवर पर पाए गए वीर्य के धब्बों से उत्पन्न डीएनए के समान था

राहुल पर आरोप लगाया।

आई. यू. एल. बनाम दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

(5) मृतक का शव आरोपी रवि और विनोद के कहने पर रोदाई गाँव के खेतों से 13.2.2012 पर बरामद किया गया था। (6) मृतक के शव के पास एक लाल रंग का पर्स मिला जिसमें कुछ नकदी, एटीएम कार्ड के साथ-साथ पैन कार्ड और राहुल के नाम का ड्राइविंग लाइसेंस था।

(7) तीनों अभियुक्तों ने उस स्थान की ओर इशारा किया था, जिस पर उन्होंने मृतक को मारने के लिए 'मटका' से उसका सिर फोड़ दिया था।

(8) उपरोक्त टाटा इंडिका कार के बूट से एक जैक और पाना बरामद किया गया, जिसका पंजीकरण संख्या। डी. एल. 3 सी. ए. एफ. 4348, जिसमें रक्त के धब्बे थे और रक्त के धब्बों से उत्पन्न डी. एन. ए. मृतक के समान पाया गया, जिसका अर्थ है कि मृतक को जैक और पाना ने मारा था।

(9) शव परीक्षण चिकित्सक (पीडब्लू26) ने राय दी कि 'अनामिका' के मृत शरीर पर पाए गए घाव उपरोक्त जैक और पाना से संभव हो सकते हैं।

(10) उपरोक्त टाटा इंडिका कार का बंपर का एक टूटा हुआ टुकड़ा, जिसका पंजीकरण सं। डीएल 3 सी एएफ 4348 भी बरामद किया गया था।

रोदाई गाँव के खेतों में मृतक के शव के पास।

(13) मृतक की योनि के स्वाब में मिश्रित पुरुष डीएनए प्रोफ़ाइल पाई गई, जो आरोपी विनोद के साथ-साथ आरोपी रवि के समान थी। (14) आरोपी राहुल, आरोपी रवि और मृतक के मोबाइल फोन का स्थान हरियाणा के झाझर के आसपास था, जो रात में 09.2.2012 और 10.2.2012 के बीच था जब मृतक का अपहरण, बलात्कार और हत्या कर दी गई थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

15. उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि परिस्थितियों के एक ही समूह को कम किया गया है "आगे कहा कि अनामिका के मृत शरीर से बरामद बालों के एक स्ट्रैंड की ओ. एन. ए. की दो आपत्तिजनक परिस्थितियाँ रवि का डी. एन. ए. और विनोद के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाने वाली इंडिका कार के कवर पर पाए गए वीर्य के धब्बों से उत्पन्न डी. एन. ए. थे।ट्रायल कोर्ट द्वारा उकेरा गया।

16. परिस्थितिजन्य मूल्यांकन से संबंधित कानून

इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में काफी अच्छी तरह से समझौता किया गया है। में।

विज्ञापन बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य ', यह न्यायालय

पहले के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए पाँच सिद्धांत बनाए गए थेः -

" 152. उच्च न्यायालय द्वारा जिन मामलों पर भरोसा किया गया है, उन पर चर्चा करने से पहले हम प्रकृति, चरित्र और प्रकृति पर कुछ निर्णयों का हवाला देना चाहेंगे।

आपराधिक मामले में आवश्यक आवश्यक सबूत जो इस पर निर्भर करता है

केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य। सबसे बुनियादी और बुनियादी

इस न्यायालय का निर्णय हनुमंत बनाम है। मध्य राज्य प्रदेश [ए. आई. आर 1952 एस. सी. 343: 1952 एससीआर 1091: 1953 क्रि एलजे 129]। इस मामले का समान रूप से पालन किया गया है और इस न्यायालय द्वारा लागू किया गया है।

उदाहरण के लिए, बड़ी संख्या में बाद के निर्णयों में, तुफैल (उपनाम) सिम्मी बनाम के मामले। उत्तर प्रदेश राज्य [(1969) 3 एस. सी. सी. 198 1970 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 55] और रामगोपाल बनाम। महाराष्ट्र राज्य [(1972) 4 एस. सी. सी 625: ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656] न्यायमूर्ति महाजन ने हनुमंत मामले [ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 343: में जो कुछ कहा है, उसे निकालना उपयोगी हो सकता हैः 1952 एससीआर 1091: 1953 क्रि एलजे 129]:

" यह अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि जिन मामलों में साक्ष्य परिस्थितिजन्य प्रकृति का होता है, वे परिस्थितियाँ जिनसे निष्कर्ष निकाला जाता है।

अपराध के बारे में पहली बार में पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह से स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। एक बार फिर, परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए और वे ऐसी होनी चाहिए कि हर परिकल्पना को बाहर कर दिया जाए, लेकिन जिसे साबित करने का प्रस्ताव है। दूसरे शब्दों में, अब तक पूर्ण साक्ष्यों की एक श्रृंखला होनी चाहिए जो अभियुक्त की बेगुनाही के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार नहीं छोड़ती है और यह ऐसा होना चाहिए जो यह दिखा सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर अधिनियम के पास होना चाहिए।

अभियुक्त द्वारा किया गया था।

153. इस निर्णय के गहन विश्लेषण से पता चलेगा कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज करने से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए।

कहा जाए कि यह पूरी तरह से स्थापित हैः

4) 4 एस. सी. सी. 116 (यू. एल. वी.

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है

तैयार पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए।

यहाँ यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस न्यायालय ने संकेत दिया कि

संबंधित परिस्थितियाँ "होनी चाहिए या होनी चाहिए" और "नहीं" हो सकती हैं

महाराष्ट्र [(1973) 2 एससीसी 793: " निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि अभियुक्त को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने से पहले दोषी होना चाहिए और न कि केवल दोषी हो सकता है।

दोषी है, (3) परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए और

प्रवृत्ति,

(4) उन्हें साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर हर संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए, और

(5) सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूरी हो कि छोड़ न जाए

के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई उचित आधार

अभियुक्त की निर्दोषता और यह दिखाना चाहिए कि सभी मनुष्यों में संभावना है कि यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा।

154. यदि हम ऐसा कहें तो ये पाँच सुनहरे सिद्धांत हैं -

परिस्थितिजन्य आधार पर किसी मामले के प्रमाण की पंचशील

सबूत "।

17. पदाला वीरा रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और

, यह निम्नानुसार देखा गया:

“ 10 ....(1) जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, उन्हें दृढ़ता से और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए। (2) वे परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए

अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए;

9) पूरक।

(3) संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि

सभी मानवीय संभावना अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और कोई और नहीं; और

(4) दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना का स्पष्टीकरण देने में पूर्ण और असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। (देखें गंभीर बनाम। की स्थिति महाराष्ट्र "।

18. उक्त सिद्धांतों का भी पालन किया गया है

नवनीतकृष्णन बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य (2018) 16 एस. सी. सी. 161. ऊपर बताए गए सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, आइए हम जांच करें कि क्या निचली अदालत और उच्च न्यायालय द्वारा परिस्थितियों पर भरोसा किया गया था

अपीलार्थियों-अभियुक्तों के अपराध को दृढ़तापूर्वक और दृढ़ता से स्थापित किया।

19. पहली और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति जिस पर निर्भर था

अभियोजन पक्ष पीड़ित को लगभग 8 बजे लाल रंग के टाटा इंडिका कैरन 09.02.2012 में अपहरण किए जाने के संबंध में थाः 45 पी. एम इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने पीडब्लू-1 पूजा रावत, पीडब्लू-2 विकास सिंह रावत, पीडब्लू-4 विकास, पीडब्लू-29 सरस्वती और पीडब्लू-42 संगीता के साक्ष्य पर भरोसा किया है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, पीडब्लू के साथ पीड़िता

1 पूजा रावत, पीडब्लू-29 सरस्वती और पीडब्लू-42 संगीता घर लौट रही थीं और जब वह और उनके दोस्त हनुमान के बीच से गुजर रहे थे

चौक, एक लाल रंग की टाटा इंडिका कार पीछे से आई और अचानक उनके पास रुक गई। इसके बाद एक लड़का कार से बाहर आया और पीड़ित को कार में खींच लिया। उसमें तीन-चार अन्य लोग बैठे थे। गाड़ी ने कहा। उस समय पीडब्लू-4 विकास ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन कार में सवार उक्त लड़कों ने उससे झगड़ा करना शुरू कर दिया और उसके बाद कार को बाहर निकाल दिया

पीड़ित के साथ। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा कुछ हद तक प्रस्तुत की गई उक्त कहानी का समर्थन संबंधित गवाहों द्वारा किया जाता है। पीडब्लू-1 पूजा

रावत, पीडब्लू-4 विकास, पीडब्लू-29 सरस्वती और पीडब्लू-42 संगीता, उक्त गवाहों में से किसी ने भी अपने-अपने बयानों के दौरान अदालत में बैठे अभियुक्तों की पहचान नहीं की थी। यहां तक कि पीडब्लू-4 विकास, जिसका विक्टिमल का अपहरण करने का प्रयास करने वाले लड़कों के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, भी अपने बयान के दौरान अदालत में बैठे किसी भी आरोपी की पहचान नहीं कर सका और कहा कि आरोपी वे

लड़के थे जिनके साथ उसका झगड़ा हुआ था क्योंकि वे पीड़ित का अपहरण कर रहे थे। इसके अलावा, पीडब्लू 1 पूजा रावत ने कहा कि अपीलकर्ता-अभियुक्तों ने अपने राहुल बनाम को कवर किया था।

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

20. संबंधित गवाहों के उक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि न तो जांचकर्ता द्वारा कोई टी. आई. परेड आयोजित की गई थी। अभियुक्त की पहचान के लिए जाँच के दौरान अधिकारी, और न ही किसी गवाह ने अदालत के समक्ष अपने-अपने बयानों के दौरान अभियुक्त की पहचान की थी। इसलिए, अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों की पहचान विधिवत स्थापित नहीं होने के कारण, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला पहली परिस्थिति में ही स्पष्ट हो जाता है कि अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों के खिलाफ किसी भी साक्ष्य द्वारा विधिवत साबित नहीं किया गया है।

21. द्वारा निर्भर अगली महत्वपूर्ण परिस्थिति

अभियोजन पक्ष ने 13.02.2012 पर लाल रंग की इंडिका कार के साथ आरोपी राहुल की गिरफ्तारी की थी। फिर से, अभियोजन के मामले की ओर मुड़ते हुए, ऐसा प्रतीत होता है

कि अपहरण की कथित घटना के बाद, पुलिस स्टेशन छावला, नई दिल्ली को 21 पर कॉल के माध्यम से एक जानकारी मिली थीः 18 आई. डी. 1 पर इस आशय के घंटे कि हनुमान चौक, कुतुब विहार, छावला के पास लाल रंग की टाटा इंडिका कार में एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था। उक्त सूचना को उक्त पुलिस थाने में डीडी No.27A के रूप में दर्ज किया गया था। उक्त सूचना मिलने पर एस. आई. प्रकाश चंद (पीडब्लू-45), जो पी. एस. छावला में तैनात थे, सिपाही राकेश के साथ हनुमान चौक पर मौके पर गए थे, जहाँ वे शिकायतकर्ता सरस्वती से मिले। उसने कथित घटना के संबंध में अपना बयान दिया और उसके बयान के आधार पर एस. आई. प्रकाश चंद द्वारा आई. पी. सी. की धारा 363 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। इसके बाद 13.02.2012 पर जब

जांच एस. एच. ओ., पी. एस. छावला, इंस्पेक्टर संदीप गुप्ता (पीडब्लू-48), पी. एस. सेक्टर-23, द्वारका [2022] 9 एस. सी. आर. के ए. एस. आई. राजिंदर सिंह को सौंपी गई थी।

(पीडब्लू-12) ने आरोपी राहुल और पंजीकरण संख्या वाली एक लाल रंग की इंडिका कार को पेश किया। डी. एल. 3 सी. ए. एफ. 4348 ने कहा कि आरोपी राहुल मेट्रो स्टेशन, सेक्टर 9, द्वारका, नई दिल्ली के पास उक्त कार में घूमते हुए पाया गया।

22. आरोपी की गिरफ्तारी के संबंध में-राहुल, पीडब्लू-12 एएसआई राजिंदर सिंह ने अदालत के समक्ष कहा था कि आरोपी-राहुल को लाल इंडिका कार चलाते हुए देखा गया था, और वह हैरान लग रहा था। जब उसने उक्त वाहन के दस्तावेज मांगे, तो आरोपी-राहुल उन्हें पेश नहीं कर सका और इसलिए उसने (पीडब्लू-12) राहुल को पकड़ लिया और पी. एस. छावला में एस. एच. ओ. को उसकी हिरासत सौंप दी। पीडब्लू-12 एएसआई राजिंदर ने यह समझाने की कोशिश की थी कि नियंत्रण कक्ष से एक संदेश आया था कि लाल रंग की इंडिका कार में एक लड़की का अपहरण कर लिया गया था और पुलिस को उक्त वाहन को पकड़ना था और संबंधित एसएचओ को रिपोर्ट करना था, और इसलिए उसने राहुल को गिरफ्तार कर लिया। अतः, अभियुक्त राहुल था

गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह एक लाल इंडिका कार चला रहा था। उल्लेखनीय है कि अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए गवाहों में से किसी ने भी उस इंडिका कार की पहचान नहीं की थी जिसे कथित तौर पर राहुल द्वारा 13.02.2012 पर चलाया जा रहा था। पी. डब्ल्यू.-29, शिकायतकर्ता सरस्वती ने अपनी जिरह में स्वीकार किया था कि वह निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती थी कि यह वही कार थी जिसमें पीड़िता का अपहरण किया गया था। किसी भी गवाह ने उस कार का पंजीकरण नंबर भी नहीं देखा था जिसमें पीड़ित का अपहरण किया गया था।

23. अब, अभियोजन पक्ष के आगे के मामले के अनुसार, आरोपी राहुल ने एक प्रकटीकरण बयान दिया (उदा। पीडब्लू-39/बी) निरीक्षक के समक्ष

संदीप गुप्ता जिसके आधार पर दूसरे आरोपी विनोद और रवि को गिरफ्तार किया गया।

बीट कांस्टेबलों द्वारा उन्हें पुलिस स्टेशन लाया गया, और उन्हें भी 14 बजे गिरफ्तार कर लिया गयाः 45 और 15: 00 क्रमशः घंटे। उन्होंने अपने प्रकटीकरण बयान भी दिए (उदा. पी-39/ए और Ex.PW-39/सी) पी-1 संदीप गुप्ता से पहले। उक्त बीट कांस्टेबलों की जाँच नहीं की गई थी

विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन। उक्त बीट कांस्टेबल की गैर-जांच ने आरोपी की गिरफ्तारी की कहानी में संदेह का बादल पैदा कर दिया है, क्योंकि आई. डी. 1 की धारा 313 के तहत दर्ज आगे के बयानों में, आरोपी राहुल ने कहा था कि रवि को उसके घर से उठा लिया गया था, और जब वह (यानी राहुल) शाम को रवि के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कार जब्त कर ली गई। अभियुक्त-विनोद और रवि ने यह भी कहा है कि उन्हें उनके घर से उठाया गया था। इस प्रकार, जिन परिस्थितियों में अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और कार को जब्त किया गया, उन्होंने भी अभियोजन पक्ष द्वारा सामने रखी गई कहानी में गंभीर संदेह पैदा कर दिया है।

राहुल वी. दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

24. दिलचस्प बात यह है कि उस समय के संबंध में सबूत है कि कौन पहले घटना स्थल पर पहुंचा जहां पीड़ित का शव पड़ा था।

स्पष्ट भी नहीं। पीडब्लू-46 एएसआई बलवान सिंह पी. एस. रोदाई, हरियाणा ने बताया कि डीडी नंबर 24 की प्राप्ति पर वह हेड कांस्टेबल विनोद और हेड कांस्टेबल अमन कुमार के साथ कारवारा रेलवे फाटक, रेवाड़ी के पास के खेतों में पहुंचे, जहां उन्होंने पाया कि

पुलिस थाना, पी. एस. रोदाई, जिला गया था। रेवाड़ी, हरियाणा में उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद, आरोपी रवि और विनोद के संकेत पर, वे सभी उस स्थान पर पहुंचे, जहाँ पीड़ित का शव पड़ा था। चूंकि पी. एस. रोदाई की एक पी. सी. आर. वैन वहां खड़ी थी, इसलिए पी. सी. आर. अधिकारियों के माध्यम से पी. एस. रोदाई को सूचना भेजी गई और उसके बाद ए. एस. आई. बलवंत सिंह अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे। इस प्रकार, पीडब्लू-46 और पीडब्लू-48 के संबंधित बयानों में विरोधाभास हैं कि वे उस स्थान पर कैसे और कब पहुंचे जहां पीड़ित का शव पड़ा हुआ था। यद्यपि उक्त डी. डी. संख्या 24 साक्ष्य का एक अत्यंत महत्वपूर्ण टुकड़ा था, फिर भी उक्त दस्तावेज को अभियोजन पक्ष द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया था। 25. इस मोड़ पर, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निचली अदालत ने तीनों अभियुक्तों के पूरे प्रकटीकरण बयानों को स्वीकार करने की अनुमति दी थी।

Ex.PW-39/B, PW-41/B और PW-41/C के समान साक्ष्य प्रदर्शित करके उक्त बयान PW-48, संदीप गुप्ता द्वारा दर्ज किए गए थे।

जब वे पुलिस हिरासत में थे। उक्त बयान पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति की प्रकृति के होने के कारण साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 द्वारा प्रभावित हुए थे। इस संबंध में कानून बहुत स्पष्ट है कि पुलिस हिरासत में होने पर आरोपी द्वारा पुलिस अधिकारी के समक्ष स्वीकारोक्ति को अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति नहीं कहा जा सकता है। यदि अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष स्वीकारोक्ति की जाती है, और इस तरह के स्वीकारोक्ति के एक हिस्से से किसी भी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी होती है, तो केवल ऐसा हिस्सा साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्य होगा, न कि पूरे इकबालिया बयान। तत्काल मामले में, इसलिए निचली अदालत ने पीडब्लू-48 पी1 संदीप कुमार गुप्ता द्वारा दर्ज अभियुक्त के पूरे प्रकटीकरण बयानों को [2022] 9 एस. सी. आर. में पढ़ने के लिए प्रदर्शित करने में घोर त्रुटि की थी।

सबूत। हालाँकि, जाँच अधिकारी को दी गई जानकारी जिससे अपराध के स्थान का पता चलता है, स्वीकार्य होगी।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के साथ पठित धारा 27 में इंगित सीमा तक, लेकिन पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए स्वीकारोक्ति की प्रकृति में संपूर्ण प्रकटीकरण बयान नहीं।

26. यह हमें 13.02.2021 पर आपत्तिजनक लेखों की कथित खोज के संबंध में अगली परिस्थिति में ले जाता है, अर्थात्,

बंपर का टूटा हुआ टुकड़ा, बटुआ जिसमें आरोपी-राहुल आदि को जोड़ने वाले दस्तावेज हैं। इस संबंध में दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य प्रासंगिक होंगे। यद्यपि पी. एस. छावला के पी. डब्ल्यू.-32 हेड कांस्टेबल ओमकार सिंह और पी. डब्ल्यू.-36 ए. एस. आई. अपराध दल दक्षिण-पश्चिम जिला, नई दिल्ली के प्रभारी अतर सिंह ने उक्त आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के बारे में बताया, पी. डब्ल्यू.-37, पी. डब्ल्यू.-38, पी. डब्ल्यू.-39 और पी. डब्ल्यू.-41 जो मौके पर भी थे, उन्होंने उक्त वस्तुओं के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया। पुनः पी. एस. रोदाई के कहने पर बुलाए गए पी. डब्ल्यू.-31 फोटोग्राफर ने भी उक्त लेखों के बारे में नहीं बताया। अन्य गैर-सरकारी गवाहों यानी पीडब्लू-3, पीडब्लू-7, पीडब्लू-8 और पीडब्लू-14 ने भी ऐसी खोजों या बरामदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। अभियोजन पक्ष ने भी

ठोस सबूत से साबित नहीं हुआ कि पीड़ित के शव के पास पड़ा बंपर का टूटा हुआ टुकड़ा लाल रंग की इंडिका कार का था

अभियुक्त राहुल से जब्त किया गया। इसके अलावा, बटुए के जब्ती ज्ञापन (34/ए प्रदर्शित करें) में केवल यह उल्लेख किया गया है कि एक लाल रंग का बटुआ जिसमें Rs.365 और चीजों की एक सूची थी, जब्त किया गया था। जब्ती ज्ञापन में किसी भी ऐसे दस्तावेज का उल्लेख नहीं था जो आरोपी राहुल को जोड़ सके। यदि एटीएम कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और आरोपी राहुल को जोड़ने वाले पैन कार्ड पाए गए। उक्त बटुए से, कोई भी जांच अधिकारी जब्ती ज्ञापन में उनका उल्लेख नहीं करने की ऐसी गलती नहीं करेगा। आरोपी-राहुल ने धारा 313 के तहत अपने आगे के बयान में कहा था कि उक्त वस्तुओं को पुलिस स्टेशन में उससे छीन लिया गया था।

27. जब्त ज्ञापन (प्रदर्शनी 34/ए) के अनुसार एएसआई बलवान सिंह द्वारा मृतक के शरीर से पाए गए बालों की बरामदगी भी अत्यधिक संदिग्ध है, क्योंकि यह कथित तौर पर मृतक के शरीर से पाया गया था जो लगभग तीन दिन और तीन रातों से खुले मैदान में पड़ा था। मृतक के पीडब्लू-8 पिता और मृतक के पीडब्लू-3 और पीडब्लू-7 पड़ोसियों, जिन्होंने पीड़ित के शव की पहचान की थी, ने शव के पास पड़ी वस्तुओं के बारे में कुछ नहीं कहा था। अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ताओं ने भी राहुल बनाम का चित्रण किया था।

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और औपचारिक गवाहों की गवाही में दिखाई देने वाली विसंगतियों और विरोधाभासों की संख्या के संबंध में अदालत का ध्यान, जो खोज और वसूली के संबंध में पूरे साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं और साथ ही

28. अभियोजन पक्ष ने जिस अगली परिस्थिति पर भरोसा किया, वह थी राजिंदर के सामने सड़क के डिवाइडर पर झाड़ियों से आरोपी राहुल के कहने पर मृतक का फोन कथित रूप से बरामद होना। कमल सिनेमा के पास ढाबा। हालांकि मृतक के पिता पी. डब्ल्यू.-8 कुंवर सिंह नेगी ने कहा था कि मोबाइल फोन नं. 9540594640 उनके नाम पर था और उनकी बेटी ने इस्तेमाल किया था, उन्हें फोन नहीं दिखाया गया

पहचान के उद्देश्य के लिए उपकरण। उक्त फोन के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होने का कॉल विवरण रिकॉर्ड भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के संदर्भ में साबित नहीं हुआ था। अतः साक्ष्य का यह भाग भी अभियोजन पक्ष के मामले को आगे नहीं ले जाता है।

29. तत्काल मामले में, अपहरण की कथित घटना 09.02.2012 पर हुई थी और पीड़ित का शव 13.02.2012 पर पाया गया था। इसलिए, मृत्यु का समय भी बहुत महत्वपूर्ण था, हालांकि जिस स्थिति में शव पाया गया था, उसे देखते हुए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ex.26/A भी उस समय के बारे में स्पष्ट नहीं है जब मृत्यु हुई थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृत्यु का समय 72 से 96 घंटे यानी 10.02.2012 से 11.02.2012 के बीच बताया गया है, क्योंकि पोस्टमॉर्टम 14.02.2012 पर लिया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, मृत्यु 09.02.2012 से 10.02.2012 की दरम्यानी रात को हुई होगी। मृतक के शरीर में भी सड़न का कोई संकेत नहीं दिखा। यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि शव बिना देखे तीन दिनों तक खेत में रहा होगा। कोई भी।

30. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता

मृतक के पोस्टमॉर्टम के दौरान नमूने एकत्र करने के समय और तरीके की ओर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि पीडब्लू-48 पी1 संदीप कुमार अस्पताल में मौजूद थे जब पोस्टमॉर्टम [2022] 9 एस. सी. आर. को किया गया था।

14.02.2012 , और इसलिए 16.02.2012 पर मृतक के शरीर से नमूने एकत्र करने का कोई कारण नहीं था। आर. टी. एम. आर. अस्पताल, जाफरपुर में 14.02.2012 पर अभियुक्तों के एम. एल. सी. के दौरान नमूनों का संग्रह और सीलिंग भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है। आईडी1 पर जब्त की गई इंडिका कार के सीट कवर पर पाए गए खून के दाग और वीर्य की कहानी और जांच के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजी गई कहानी भी अत्यधिक असंभव और अविश्वसनीय प्रतीत होती है। जब तक इसे जांच के लिए सी. एफ. एस. एल. को नहीं भेजा गया और क्या उक्त अवधि के दौरान कार को सील किया गया था, तब तक इस बात का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है कि उक्त कार को जब्त करने के बाद कौन हिरासत में था।

31. विद्वान न्यायमित्र ने फोरेंसिक साक्ष्य यानी डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग दिनांक 18.04.2012 के संबंध में रिपोर्ट पर भी हमला किया है।

(पी-23/1) को आपत्तिजनक निष्कर्ष देते हुए प्रदर्शित करें। उन्होंने दृढ़ता से प्रस्तुत किया कि इस तथ्य के अलावा कि नमूनों का संग्रह भेजा गया है

जाँच अपने आप में बहुत संदिग्ध थी, उक्त फोरेंसिक साक्ष्य न तो वैज्ञानिक रूप से और न ही कानूनी रूप से साबित हुआ था और अपीलकर्ता-अभियुक्त के खिलाफ परिस्थिति के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता था। न्यायालय न्यायमित्र द्वारा की गई उक्त दलीलों में सार पाता है। डी. एन. ए. साक्ष्य धारा 45 के तहत परिकल्पित राय साक्ष्य की प्रकृति में है और किसी भी अन्य राय साक्ष्य की तरह, इसका संभावित मूल्य मामले-दर-मामले भिन्न होता है। इस संबंध में एक बहुत ही प्रासंगिक टिप्पणी की गई है।

मनोज और अन्य के मामले में न्यायालय। बनाम मध्य प्रदेश राज्य 3 बनने के योग्य है। इस न्यायालय ने डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग पद्धति और सांख्यिकीय विश्लेषण के साथ-साथ संग्रह और विश्लेषण के मुद्दे पर भी विस्तार से विचार किया है।

डी. एन. ए. साक्ष्य का संरक्षण। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दिए गए हैं:

" 138. सुनवाई के दौरान, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, कोलकाता द्वारा प्रकाशित एक लेख पर भरोसा किया गया। प्रासंगिक

प्रत्येक नाभिकीय कोशिकाओं में मौजूद गुणसूत्र और एक व्यक्ति को मां से 23 और पिता से 23 गुणसूत्र विरासत में मिलते हैं। क्रमशः अंडाशय और शुक्राणु के माध्यम से संचारित होता है। प्रत्येक कोशिका विभाजन के समय, गुणसूत्र दोहराते हैं और एक समूह उनके पास जाता है।

3 (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 677 (यूएल बनाम.

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

प्रत्येक बेटी सेल। शरीर के आंतरिक संगठन, भौतिक विशेषताओं और शारीरिक कार्यों के बारे में सभी जानकारी वर्णमाला की भाषा (अनुक्रम) में डीएनए अणुओं में कूटबद्ध की जाती है।

न्यूक्लियोटाइड्स के अनुक्रम में व्यक्तिगत। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए (एम. टी. डी. एन. ए.) माइटोकॉन्ड्रिया में बड़ी संख्या में प्रतियों में पाया जाता है जो गोलाकार, दोहरे फंसे हुए, लंबाई में 16,569 आधार जोड़े होते हैं और मातृ विरासत को दर्शाते हैं। यह मातृ वंश के माध्यम से संबंधित लोगों के अध्ययन में विशेष रूप से उपयोगी है। परमाणु डीएनए की तुलना में बड़ी संख्या में प्रतियां होने के कारण, इसका उपयोग अवक्रमित नमूनों के विश्लेषण में किया जा सकता है। इसी तरह, वाई गुणसूत्र पैतृक विरासत को दर्शाता है और पुरुष वंश का पता लगाने और यौन हमले के मिश्रण में पुरुषों से डीएनए को हल करने के लिए नियोजित किया जाता है।

केवल 0.1% डी. एन. ए. (लगभग 30 लाख आधार) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होते हैं। फोरेंसिक डी. एन. ए. वैज्ञानिक जैविक सुराग सामग्री या नियंत्रण नमूनों के साथ तुलना करने के लिए किसी व्यक्ति के डी. एन. ए. प्रोफाइल को उत्पन्न करने के लिए केवल कुछ परिवर्तनशील क्षेत्रों का विश्लेषण करते हैं।

डीएनए प्रोफाइलिंग कार्यप्रणाली

डीएनए के कुछ अत्यधिक परिवर्तनशील क्षेत्रों के विश्लेषण की प्रक्रिया। द. डी. एन. ए. के परिवर्तनशील क्षेत्रों को आनुवंशिक मार्कर कहा जाता है। फोरेंसिक उद्देश्यों के लिए पसंद के वर्तमान आनुवंशिक मार्कर शॉर्ट टेंडम रिपीट्स (एसटीआरएस) हैं। स्वचालित डी. एन. ए. अनुक्रमक को नियोजित करने वाले 15 एस. टी. आर. के एक समूह का विश्लेषण एक अद्वितीय डी. एन. ए. प्रोफाइल देता है।

व्यक्तिगत (मोनोज़ाइगोटिक जुड़वां को छोड़कर)। इसी तरह, वाई गुणसूत्र (वाई-एसटीआर) पर मौजूद एसटीआर का उपयोग यौन हमले के मामलों में भी किया जा सकता है। या पैतृक वंश का निर्धारण करना। यौन हमलों के मामलों में, वाई एसटीआरएस महिला भाग के उच्च स्तर की उपस्थिति में या एज़ूल 1 परमिक या [2022] 9 एस. सी. आर. के मामले में भी पुरुष प्रोफ़ाइल का पता लगाने में सहायक होते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

नसबंदी "पुरुष। जिन मामलों में डी. एन. ए. पर्यावरणीय तनाव और जैव रासायनिक क्षरण से गुजरा था, उनमें न्यूनतम आई. एस. टी. आर. का उपयोग नियमित एस. टी. आर. के लिए किया जा सकता है क्योंकि इसका आकार छोटा होता है।

डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग एक जटिल प्रक्रिया है और एक प्रोफाइल बनाने में शामिल प्रत्येक क्रमिक चरण प्रयोगशाला में उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर भिन्न हो सकता है। हालाँकि, विश्लेषण के सिद्धांत समान हैं, जिनमें शामिल हैंः

1. डीएनए का पृथक्करण, शुद्धिकरण और मात्रा निर्धारण

2. चयनित आनुवंशिक मार्करों का प्रवर्धन

3. टुकड़ों की कल्पना करना और जीनोटाइपिंग

4. सांख्यिकीय विश्लेषण और व्याख्या।

एम. टी. डी. एन. ए. विश्लेषण में, अतिपरिवर्तनीय क्षेत्र I और II में भिन्नताएँ (एच. वी. आर. I और II) का पता नियंत्रण नमूनों के साथ अनुक्रमण और परिणामों की तुलना करके लगाया जाता हैः .....

सांख्यिकीय विश्लेषण

असामान्य डी. एन. ए. मामले में साक्ष्य के नमूनों की तुलना शामिल है, जैसे कि बलात्कार से वीर्य, और ज्ञात या संदर्भ नमूने, जैसे कि एक संदिग्ध से रक्त का नमूना। आम तौर पर, प्रोफ़ाइल तुलना के तीन संभावित परिणाम होते हैंः

1) मैचः यदि दोनों नमूनों से प्राप्त डीएनए प्रोफाइल अप्रभेद्य हैं, तो कहा जाता है कि वे मेल खाते हैं।

2) बहिष्करणः यदि प्रोफाइल की तुलना अंतर दिखाती है, तो इसे केवल अलग-अलग से उत्पन्न होने वाले दो नमूनों द्वारा समझाया जा सकता है।

स्रोतों।

मैच को अर्थ प्रदान करें। मिलान आँकड़े आमतौर पर यादृच्छिक मिलान संभावना (आर. एम. पी.) या दूसरे शब्दों में, आबादी में विशेष डी. एन. ए. प्रोफ़ाइल की आवृत्ति के अनुमान के रूप में प्रदान किए जाते हैं। पितृत्व/प्रसूति परीक्षण के मामले में, दो से अधिक स्थानों पर बहिष्करण को बहिष्करण माना जाता है। आई. यू. एल. v की रिपोर्ट करते समय 1 या 2 लोकी संभावित उत्परिवर्तनों की छूट को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

मैच। मैच का समर्थन करने के लिए पितृत्व सूचकांक और संभावना अनुपात की गणना आगे की जाती है।

साक्ष्यों का संग्रह और संरक्षण

डी. एन. ए. के नमूनों का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है, संदूषण के मुद्दों पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है, जबकि डी. एन. ए. साक्ष्य का पता लगाना, एकत्र करना और संरक्षित करना दूषित हो सकता है जब डी. एन. ए. से एक अन्य स्रोत मामले से संबंधित डीएनए के साथ मिल जाता है। यह तब हो सकता है जब कोई साक्ष्य पर छींकता है या खांसता है।

या उसके मुँह, नाक या चेहरे के अन्य हिस्से को छूता है और फिर उस क्षेत्र को छूता है जिसमें परीक्षण के लिए डीएनए हो सकता है। जैविक नमूने वाली प्रदर्शनी, जो दोनों के बीच संबंध स्थापित कर सकती है।

पीड़ितों, संदिग्धों, मामले को हल करने के लिए अपराध स्थल पहचान की जाए, संरक्षित किया जाए, पैक किया जाए और डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए भेजा जाए।

139. इससे पहले के एक फैसले में, आर. वी. डोहनी और एडम्स ने यू. के. अपील न्यायालय ने परीक्षणों में डी. एन. ए. साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किएः (1) वैज्ञानिक को यादृच्छिक घटना अनुपात की अपनी गणना के साथ डीएनए तुलना के साक्ष्य को जोड़ना चाहिए; (2) जब भी इस तरह के साक्ष्य को प्रस्तुत किया जाना है, तो क्राउन (अभियोजन) बचाव पक्ष के विवरणों पर ध्यान देना चाहिए कि गणना कैसे की गई है, जो बचाव पक्ष के लिए गणना के आधार की जांच करने के लिए पर्याप्त हैं; (3) फोरेंसिक विज्ञान सेवा को एक रक्षा विशेषज्ञ को उपलब्ध कराना चाहिए, यदि अनुरोध किया जाता है, तो डेटाबेस जिन पर गणना आधारित की गई है।

140. भारतीय विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणी की हैः

" डी. एन. ए. साक्ष्य में उस व्यक्ति से आने वाली आनुवंशिक सामग्री के बीच तुलना शामिल है जिसकी पहचान जारी है और एक ज्ञात व्यक्ति से आनुवंशिक सामग्री का एक नमूना। अगर नमूने

'मिलान' न करें, तो यह ज्ञात व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच पहचान की कमी साबित होगी जिससे अज्ञात नमूना लिया गया है। उत्पत्ति हुई। यदि नमूने मेल खाते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि पहचान निर्णायक रूप से साबित हो गई है। बल्कि, एक विशेषज्ञ डीएनए नमूनों के डेटाबेस से प्राप्त करने में सक्षम होगा, एक अनुमानित संख्या [2022] 9 एस. सी. आर.

पाया गया। उदाहरण के लिए, यह हो सकता है कि प्रासंगिक प्रोफ़ाइल प्रत्येक 100,000 में 1 व्यक्ति में पाई जाती हैः यह 'यादृच्छिक' के रूप में वर्णित है घटना अनुपात '(फिपसन 1999)।

141. धरम देव यादव बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य की इस अदालत ने आपराधिक मुकदमे में डी. एन. ए. साक्ष्य की विश्वसनीयता पर चर्चा की और निम्नानुसार निर्णय दियाः " डी. एन. ए. का अर्थ है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हर जीवन का जैविक खाका है। डी. एन. ए. दोहरे मानक से बना है

एक डीऑक्सीराइबोज चीनी और फॉस्फेट से युक्त संरचना

रीढ़ की हड्डी, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड के साथ क्रॉस-लिंक्ड जिसे एडेनिन और गुआनिन कहा जाता है, प्यूरिन और थाइमिन और साइटोसिन पाइरिमिडीन। डी. एन. ए. आमतौर पर किसी भी जैविक सामग्री जैसे रक्त, वीर्य, लार, बाल, त्वचा, हड्डियों आदि से प्राप्त किया जा सकता है। यह सवाल कि क्या डी. एन. ए. परीक्षण वस्तुतः त्रुटिहीन हैं, एक विवादास्पद सवाल हो सकता है, लेकिन तथ्य यह है कि इस तरह के परीक्षण बने हुए हैं और अपराधों की जांच में व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है और न्यायालय अक्सर विशेषज्ञों, विशेष रूप से विशेषज्ञों के विचारों को स्वीकार करता है।

जब मामले परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर होते हैं। आधी सदी से भी अधिक समय से आपराधिक न्याय प्रणाली में मानव डी. एन. ए. के नमूनों का उपयोग किया जाने लगा। बेशक, नमूनों के परीक्षण और अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करने में आवश्यक सुरक्षा उपायों पर बहस जारी है। डी. एन. ए. प्रोफाइल, हालांकि, लगातार वैध और विश्वसनीय माना जाता है, लेकिन निश्चित रूप से, यह प्रयोगशाला में गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है।

142. यू. एस. सुप्रीम कोर्ट, तीसरे न्यायिक जिले के लिए जिला अटॉर्नी के कार्यालय में v. ओसबोर्न, एक पोस्ट-कन्विक्शन से निपटा गया

नए डी. एन. ए. तकनीकों के माध्यम से अपनी बेगुनाही साबित करने की इच्छा रखने वाले दोषी के कहने पर सबूत प्राप्त करने का दावा करता है। यह था।

तथ्यों के संदर्भ में कहा गया है कि

" आधुनिक डी. एन. ए. परीक्षण पहले ज्ञात किसी भी चीज़ के विपरीत शक्तिशाली नए साक्ष्य प्रदान कर सकता है। 1980 के दशक के मध्य में आपराधिक जांच में इसके पहले उपयोग के बाद से, डी. एन. ए. प्रौद्योगिकी में कई बड़ी प्रगति हुई है, जिसकी परिणति एस. टी. आर. प्रौद्योगिकी में हुई है। अब यह निर्धारित करना अक्सर संभव है कि क्या एक जैविक ऊतक एक संदिग्ध से राहुल v से मेल खाता है।

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

निश्चितता के करीब। जबकि निश्चित रूप से कई आपराधिक परीक्षण बिना किसी फोरेंसिक और वैज्ञानिक परीक्षण के आगे बढ़ते हैं, जब इस तरह के साक्ष्य जारी होते हैं तो ऊतकों के मिलान के लिए डी. एन. ए. परीक्षण की तुलना में कोई तकनीक नहीं है। डी. एन. ए. परीक्षण गलत तरीके से दोषमुक्त हुआ है।

लोगों को दोषी ठहराया, और कई अन्य लोगों की दोषसिद्धि की पुष्टि की है।

143. इस न्यायालय के कई निर्णय-पंतंगी बलराम वेंकट गणेश बनाम। आंध्र प्रदेश राज्य, संतोष कुमार सिंह बनाम। राज्य

सी. बी. आई. के माध्यम से, पुलिस निरीक्षक, तमिलनाडु बनाम जॉन

आम तौर पर, जब अपराध स्थल पर पाए गए नमूने का डी. एन. ए. प्रोफाइल संदिग्ध के डी. एन. ए. प्रोफाइल से मेल खाता है, तो आम तौर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दोनों नमूनों की जैविक उत्पत्ति समान है। डी.
एन. ए. प्रोफाइल वैध और विश्वसनीय है, लेकिन किसी विशेष परिणाम में भिन्नता गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता प्रक्रिया पर निर्भर करती है।

प्रयोगशाला "।

32. यह सच है कि पीडब्लू-23 डॉ. बी. के. महापात्रा, सी. एफ. एस. एल., नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान) ने गवाह बॉक्स में कदम रखा था और डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में उनकी रिपोर्ट को एक्स के रूप में प्रदर्शित किया गया था। पीडब्लू-23/ए, हालांकि केवल एक दस्तावेज़ का प्रदर्शन, इसकी सामग्री को साबित नहीं करेगा। रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी से संबंधित और मृतक से संबंधित सभी नमूनों को जांच अधिकारी द्वारा 14.02.2012 और 16.02.2012 पर जब्त कर लिया गया था और उन्हें 27.02.2012 पर जांच के लिए सी. एफ. एस. एल. को भेजा गया था। इस अवधि के दौरान, वे पुलिस स्टेशन के मलखाने में रहे। परिस्थितियों में, छेड़छाड़ की संभावना

एकत्र किए गए नमूनों से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। न तो निचली अदालत और न ही उच्च न्यायालय ने निष्कर्षों [2022] 9 एस. सी. आर. के अंतर्निहित आधार की जांच की है।

डी. एन. ए. रिपोर्ट में न ही उन्होंने इस तथ्य की जांच की है कि क्या तकनीकों को विशेषज्ञ द्वारा विश्वसनीय रूप से लागू किया गया था। अभिलेख पर इस तरह के साक्ष्य के अभाव में, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग के संबंध में सभी रिपोर्ट अत्यधिक असुरक्षित हो जाती हैं, विशेष रूप से जब परीक्षण के लिए भेजे गए नमूनों का संग्रह और सीलिंग भी संदेह से मुक्त नहीं था।

33. इस प्रकार, परिस्थितियों की समग्रता और अभिलेख पर साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, यह मानना मुश्किल है कि अभियोजन पक्ष ने ठोस और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त के अपराध को साबित किया था। तय कानूनी स्थिति के अनुसार, दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए, संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध केवल आरोपी द्वारा किया गया था और कोई और नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण और स्पष्टीकरण में असमर्थ होना चाहिए।

अभियुक्त के अपराध के अलावा किसी अन्य परिकल्पना का और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए। जैसा कि पहले दिखाया गया है, अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनकी पहचान, दोषपूर्ण वस्तुओं की खोज और बरामदगी, इंडिका कार की पहचान, वस्तुओं की बरामदगी और सीलिंग और नमूनों का संग्रह, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य, डी. एन. ए. प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट, सी. डी. आर. आदि के संबंध में साक्ष्य नहीं थे।

अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के अपराध की ओर बहुत कम स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए, ठोस, निर्णायक और स्पष्ट साक्ष्य का नेतृत्व करके साबित किया गया। अभियोजन पक्ष को अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे घर लाना पड़ता है, जो अभियोजन पक्ष तत्काल मामले में करने में विफल रहा है, परिणामस्वरूप, अदालत के पास आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि वह एक बहुत ही जघन्य अपराध में शामिल है। यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्त को दंडित नहीं किया जाता है या बरी कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से पीड़ित के परिवार को एक तरह की पीड़ा और हताशा हो सकती है, हालांकि कानून अदालतों को नैतिक दोषसिद्धि या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दंडित करने की अनुमति नहीं देता है। कोई भी दोषसिद्धि केवल दिए गए निर्णय पर अभियोग या निंदा की आशंका पर आधारित नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक मामले का निर्णय न्यायालयों द्वारा किसी भी प्रकार के बाहरी नैतिक दबाव या अन्यथा से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष और कानून के अनुसार सख्ती से किया जाना चाहिए।

34. न्यायालय इन टिप्पणियों को करने के लिए विवश है क्योंकि न्यायालय ने राहुल बनाम पाठ्यक्रम के दौरान कई स्पष्ट खामियों को देखा है।

दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और ए. एन. आर. [बेला एम. त्रिवेदी, जे.]

मुकदमे से। अभिलेखसँ देखल गेल अछि जे अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच कयल गेल 49 टा गवाहमेसँ 10 टा भौतिक गवाह आपसमे मिलायल नहि छल।

बचाव पक्ष के वकील द्वारा जाँच की गई और कई अन्य महत्वपूर्ण गवाहों से पर्याप्त रूप से जिरह नहीं की गई। यह याद दिलाया जा सकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 निचली अदालतों को सच्चाई को उजागर करने के लिए किसी भी स्तर पर गवाहों से कोई भी सवाल पूछने की बेलगाम शक्तियां प्रदान करती है। जैसा कि कई फैसलों में देखा गया है, न्यायाधीश से निष्क्रिय होने की उम्मीद नहीं की जाती है।

अंपायर लेकिन उसे मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए, और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गवाहों से सवाल करना चाहिए। यह न्यायालय जबकि नहीं

इस निवेदन को स्वीकार करते हुए कि न्यायालय के लिए गवाह की प्रतिपरीक्षा के दौरान हस्तक्षेप करना अनुचित था, राजस्थान राज्य बनाम अनियालियास हनीफ और अन्य के मामले में इस प्रकार देखा गयाः -

" 11. हम उपरोक्त आलोचना की सराहना करने में असमर्थ हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 निचली अदालत को किसी भी रूप में कोई भी सवाल पूछने के लिए व्यापक और अप्रतिबंधित शक्तियां प्रदान करती है।

किसी भी समय, किसी भी गवाह, या पक्षों के बारे में

जब भी वह सत्य को उजागर करना आवश्यक समझता है। भले ही ऐसा कोई भी प्रश्न अपरिवर्तनीयता में बदल जाता है, लेकिन यह अदालत की शक्तियों के दायरे से परे नहीं जाएगा। यह धारा 165 में "प्रासंगिक या अप्रासंगिक" शब्दों से स्पष्ट है। किसी भी पक्ष को इस तरह के किसी भी प्रश्न पर आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है।
12. कई परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति अच्छी हो सकती है, लेकिन मुकदमे के दौरान एक न्यायाधीश का मूक रहना एक आदर्श स्थिति नहीं है। एक मौन न्यायाधीश जनता के दिमाग में कैरिकेटेड मॉडल हो सकता है। लेकिन मुकदमे के दौरान उसके सक्रिय या गतिशील होने में कुछ भी गलत नहीं है ताकि आपराधिक न्याय अंत में प्राप्त किया जा सके। आपराधिक मुकदमा दो प्रतिद्वंद्वी पक्षों के बीच एक बाउट या लड़ाई के रूप में नहीं होना चाहिए, जिसमें न्यायाधीश केवल एक दर्शक या यहां तक कि एक अंपायर की भूमिका निभाता है जो अंत में यह घोषित करता है कि दौड़ कौन जीता। एक न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है कि वह मुकदमे में सक्रिय रूप से भाग लेगा, उचित संदर्भ में गवाहों से आवश्यक सामग्री प्राप्त करेगा जो वह सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आवश्यक समझता है। कुछ नहीं है।

4 (1997) 6 एससीसी 162 [2022] 9 एस. सी. आर.

जो मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा के दौरान या सत्य को उजागर करने के लिए पुनः परीक्षा के दौरान भी गवाहों से सवाल पूछने की उसकी शक्ति को बाधित करता है। इसका परिणाम यह है कि यदि किसी न्यायाधीश को लगता है कि किसी गवाह ने कोई त्रुटि या चूक की है तो यह पता लगाना न्यायाधीश का कर्तव्य है कि क्या ऐसा करना मानवीय है और घबराहट के तनाव में गलती की संभावना बढ़ सकती है।

सक्रिय और सतर्क रहें ताकि त्रुटियों को कम किया जा सके।
13. इस संदर्भ में राम चंदर बनाम में जे. चिन्नाप्पा रेड्डी की टिप्पणियों को उद्धृत करना उचित है। हरियाणा राज्य [(1981) 3 एस. सी. सी. 191 1981 एस. सी. सी. (सी. आर. आई) 683: ए. आई. आर 1981 एस. सी. 1036]: (एस. सी. सी पी.

193 , पैरा 2)

" विचारण की प्रतिकूल प्रणाली जो कुछ भी है, एक न्यायाधीश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति है जो एक परीक्षण की अध्यक्षता करते हुए एक रेफरी या एक अंपायर की भूमिका निभाता है और परीक्षण को अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के बीच एक प्रतियोगिता में विकसित करने की अनुमति देता है, जिसमें परीक्षण प्रक्रिया में प्रवेश करने वाले जुझारू और प्रतिस्पर्धी तत्वों से आने वाली अपरिहार्य विकृतियां होती हैं। यदि एक आपराधिक अदालत को न्याय देने में एक प्रभावी साधन बनना है, तो पीठासीन न्यायाधीश

एक दर्शक और केवल एक रिकॉर्डिंग मशीन होना बंद कर देना चाहिए। उसे गवाहों से सवाल पूछकर बुद्धिमान सक्रिय रुचि दिखाकर मुकदमे में एक प्रतिभागी बनना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि

सच "।

35. तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा जांचे गए भौतिक गवाहों से न तो जिरह की गई है और न ही उनकी पर्याप्त जांच की गई है

जाँच की गई, और निचली अदालत ने भी एक निष्क्रिय अंपायर के रूप में काम किया, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता-अभियुक्तों को इस तथ्य के अलावा कि निचली अदालत द्वारा भी सच्चाई का पता नहीं लगाया जा सका, एक निष्पक्ष सुनवाई करने के उनके अधिकारों से वंचित किया गया था। हम यह निचली अदालतों के विवेक और विवेक पर छोड़ते हैं कि वे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करें ताकि उनके सामने आने वाले मामलों में सच्चाई का पता लगाया जा सके, चाहे वे कितने भी जघन्य या अन्यथा क्यों न हों।

बनो।

36. यह कहने के बाद और ऊपर बताए गए कारणों के लिए, निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि और सजा के आदेश और

उच्च न्यायालय को अलग कर दिया जाता है। अपीलार्थी-अभियुक्तों को राहुल बनाम से बरी कर दिया जाता है।

उन्हें संदेह का लाभ देकर उनके खिलाफ लगाए गए आरोप, और उन्हें किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं होने पर तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जानी चाहिए,

क्षतिपूर्ति भले ही अभियुक्तों को बरी कर दिया गया हो। इसलिए, इन अपीलों को स्वीकार करते हुए और अपीलकर्ताओं-अभियुक्तों को बरी करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि पीड़ित के माता-पिता मुआवजे के हकदार होंगे, यदि दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा अब तक नहीं दिया गया है, जो कानून के अनुसार अनुमेय हो सकता है। 38. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलों की अनुमति दी जाती है। सभी लंबित आवेदनों का भी निपटारा कर दिया गया है।

39. विदा लेने से पहले, हम न्यायमित्र सुश्री सोनिया माथुर और विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं और पक्षकारों की ओर से उपस्थित उनके सहयोगियों द्वारा प्रदान की गई बहुमूल्य सहायता को दर्ज करते हैं।

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान

(सहायकः राहुल राठी, एलसीआरए)